न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —32 / 2024 (अपील)

GCMS No.- 2024 / 97

1. गुलाबसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री करण सिंह निवासी 259—260 सेक्टर—06, केशवपुरा, कोटा एवं ग्राम भंवरगढ, तहसील किशनगंज़ जिला बारां राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्रीमती सोनू सिंह हाड़ा पत्नी मानसिंह हाड़ा निवासी 259—260, सेक्टर—06 केशवपुरा, कोटा राज0
2. मानवेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह नाबालिग जरिया वली माता सोनू सिंह
3. सुरभी सिंह पुत्री मानसिंह नाबालिग जरिया वली माता सोनू सिंह हाड़ा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 वरिष्ठ भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम बनाराजगी आदेश दिनांक 18.03.2024 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा मिसल नम्बर 12 / 2021 बउनवान गुलाब सिंह बनाम सोनू सिंह व अन्य

उपस्थितः—

1. श्री राकेश श्रृंगी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पदम गौत्तम, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक—09.09.2024

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18.03.2024 को आदेश पारित किया है कि—" उभयपक्षकारान के मध्य घरेलू हिंसा एवं सम्पत्ति के प्रकरण अन्य सिविल न्यायालयों में जैरकार है जिस कारण प्रकरण सम्पत्ति के विवाद एवं पारिवारिक हिंसा से संबंधित होना पाया जाता है जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न फर्द दस्तावेजों के अवलोकन से होती है । जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत बनना नहीं पाया जाता है । प्रार्थी क्रम सं0 1 राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त है जिससे प्रार्थीगण को मासिक पेंशन प्राप्त होती है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी सार संभाल करने में स्वंय समर्थ है एवं प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी सहायता इस अधिनियम के तहत नहीं दिलाई जा सकती है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।" बाबत आदेश पारित किया ।

2. उक्त आदेश दिनांक 18.03.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.05.2024 को प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी वरिष्ठ नागरिक के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखयण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के समक्ष भरण पोशण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत विस्तृत वर्णन कर मय दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पोडेंट द्वारा कारित अवैधानिक कृत्यों के विरूद्व अपने साम्पत्तिक अधिकारों के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें वर्णित अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
कोटा

उभयपक्षें की बहस सुन दिनांक 18.3.2024 को आलौच्य आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का विधि पूर्ण विवेचन किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक त्रुटि कारित की है ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश निरस्तनीय है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पो0 की ओर से अभिभाषक श्री पदम गौत्तम का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से उनके परिजनों द्वारा उनकी वृद्वावस्था का लाभ उठाकर उन्हें उनके प्रति कर्तव्यों से विमुख होकर उनकी सम्पत्तियों पर अवैध रूप से अधिकार कर उन्हें निरवासित करने एवं उनके आय के साधनों पर अधिकार कर भरण पोषण से वंचित करने के सम्बन्ध में सुरक्षा देना उक्त अधिनियम का मूल उद्देश्य है जिसे सर्वथा अनदेखी कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट की काल्पनिक कहानी पर विश्वास कर आलोच्य निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गोर नहीं किया है कि मकान नम्बर 259–260 केशवपुरा सेक्टर 06, कोटा अपीलार्थी के द्वारा खरीदशुदा सम्पत्ति है जिसमें मकान नम्बर 259 के दस्तावेज भी अपीलार्थी के पक्ष में है जो पत्रावली पर उपलब्ध है तथा अपीलार्थी व उसकी पत्नी के पास उक्त सम्पत्तियों के अतिरिक्त अपने निवास हेतु अन्य कोई आवास कोटा शहर में उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के पास अपने वृद्वावस्था में निवास ओर चिकित्सा उपरान्त ठहरने का कोई स्थान उपलब्ध नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा बल पूर्वक अपीलार्थी व उसकी पत्नी को उनकी सम्पत्ति से बेदखल करने एवं उनकी सम्पत्ति से स्वयं व्यवसायिक लाभ प्राप्त करने की नियत से ही अपीलार्थी के साथ निरंतर हिंसा कारित की गई जिसमें दिनांक 17.12.2019 को अपीलार्थी की पत्नी के साथ मारपीट में अपराध प्रमाणित होने पर पुलिस के द्वारा रेस्पोडेंट क्रम–01 के विरूद्व चालान भी न्यायालय एसीजेएम–04 कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है और ऐसी स्थिति में भी अपीलार्थी के निवास में ही रेस्पोडेंट क्रम–01 के द्वारा विधिक दस्तावेजों से सिद्व हिंसा जो साझा नातेदारी के रूप में व सास बहू होने से रहने के दौरान की गई को हिंसा ना मानकर आलोच्य निर्णय पारित करने में भारी विधिक त्रुटि कारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होना बताकर मासिक पेंशन प्राप्त होना बताया है जबकि ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य सम्पूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और वास्तविकता में अपीलार्थी राजकीय सेवा में सेवारत रहा भी नहीं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ रेस्पोडेंट की बातों पर विश्वास कर एक तरफा रूप से आलोच्य निर्णय पारित कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट के द्वारा जिन तथाकथित घरेलू हिंसा का वर्णन अपने जवाब में किया गया है वही कथनों का उल्लेख कर रेस्पोडेंट क्रम–01 के द्वारा अपीलार्थी के पुत्र मानसिंह एवं अपीलार्थी व अन्य परिजनों के विरूद्व एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 498–ए, 406 आईपीसी का दर्ज करवाया था जो बाद जांच सम्पूर्ण रूप से मिथ्या पाये जाने पर पुलिस द्वारा अदमवकू झूठ में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–03, उत्तर कोटा के समक्ष अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसके विरूद्व रेस्पोडेंट ने प्रतिरक्षा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी व अपने गवाहान की साक्ष्य भी प्रस्तुत की थी परन्तु समस्त कथन मिथ्या पाये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकार कर प्रकरण निरस्त कर दिया गया । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट के द्वारा वर्णित समस्त कथन पूर्णत मिथ्या बनावटी व काल्पनिक है जो अपीलार्थी की सम्पत्ति को हडप कर स्वछंद जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से की गई कार्यवाही कैं अंश है उसके बावजूद भी माननीय

जिला कलक्टर
कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है । वकील अपीलांट द्वारा आगे अपनी बहस में यह भी तर्क दिया है कि अपीलांट एवं उनकी पत्नि जब कोटा ईलाज के लिए कोटा आना जाना रहता है, इलाज कराने कोटा आये तब रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की पत्नि के साथ मारपीट की गई, जबकि उक्त दोनों मकान मेरे स्वामित्व के है रेस्पोडेन्ट मेरी सम्पत्ति का व्यावसायिक उपयोग कर रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18.3.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को विधि अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित सहायता प्रदान करने की कृपा करें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट एवं उसकी पत्नी कौशल कंवर वर्षो से ग्राम भंवरगढ जिला बारां में निवास कर रहे हैं । प्रार्थी सार्वजनिक निमार्ण विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है । ग्राम भंवरगढ में उसका मकान 100 गुणा 150 का है जिसमें 8 पक्के कमरे व हॉल, चौक एवं 5 कच्चे कमरे, एक तबारी व बड़ा बाडा, रसोई लेट बाथ गैलरी बनी हुई है जिसके किराये से अपीलांट व उसकी पत्नी गुजर बसर कर रहे है । प्रार्थी व उसकी पत्नी कौशल कंवर कोटा में निवास नहीं करते है । अपीलांट के रेस्पो0 1 के पति मानसिंह के अतिरिक्त दो पुत्र महीपाल सिंह एवं डीकेन्द्र सिंह है एवं एक पुत्री लीला है जो विवाहित है । सभी पुत्रों में मानसिंह विकास अधिकारी एलआईसी कोटा में है के द्वारा जिसकी मासिक एक लाख रूपये की आय अर्जित करता है तथा दूसरे पुत्र महिपाल सिंह प्राईवेट जॉब का कार्य करता है जिसकी मासिक आय 50,000/– महिना है तथा तीसरा पुत्र डीकेन्द्र सिंह पुलिस हैड कांस्टेबल है एवं उसकी पत्नी प्रमिला सरकारी अध्यापिका जिला बारां में कार्यरत है जो सरकारी कर्मचारी है एवं दोनों की मासिक आय एक लाख रूपये से अधिक है, और अपीलांट का भरण पोषण करने में सक्षम व समर्थ है । अपीलांट द्वारा उक्त मकान के क्रय हेतु कोई राशि प्रदान नहीं की और ना ही उक्त मकान का किराया प्राप्त किया गया । उक्त मकान के स्वामी मानसिंह व रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ही रहे है और उनके द्वारा ही उक्त मकान में निवास किया जाता रहा है । रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा विवाह के पश्चात इतने वर्षो तक कोई विवाद नहीं किया और रेस्पो0 नं0 2 व 3 तो नाबालिग है जिनके द्वारा विवाद करना संभव नहीं है । वर्ष 2019 में रेस्पोडेन्ट को अपने बच्चों सहित बाहर निकालने के प्रयास करने एवं मानसिंह हाडा द्वारा उक्त षडयंत्र में अपने माता पिता को शामिल करके विवाद उत्पन्न करवाया गया है । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा 498ए, 406 आईपीसी के प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के पति के बवाहान द्वारा यह स्वीकार किया है कि उक्त दो मकान मानसिंह हाडा के है । रेस्पोडेन्ट द्वारा 125 सीआरपीसी के प्रकरण में आज दिनांक तक मानसिंह हाडा न्यायालय की तामिल से बचता रहा है । न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–3, उत्तर कोटा में घरेलू हिंसा के प्रकरण में प्रार्थी, उसकी पत्नी कौशल कंवर, मानसिंह हाडा पुत्री लीला व दामाद पर्वत सिंह पक्षकार है , जिसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय से उक्त घर में निवास बनाये रखने, जबरन नहीं निकाले जाने एवं भरण पोषण की प्रार्थना की है । अपीलांट की पत्नी कौशल कंवर द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–4, उत्तर कोटा में स्वयं अपने पति गुलाबसिंह के म0नं0 259, 260 सेक्टर–6 केशवपुरा कोटा के सम्बन्ध में प्रार्थना की है जिससे विभिन्न न्यायालयों में उक्त प्रकरणों में विरोधाभासी निर्णय होने की संभावना कारित हो सकती है । प्रार्थी की पत्नी कौशल कंवर द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–4, कोटा में दिये गये बयानों में स्पष्ट किया कि वह 20 वर्षो से कभी कोटा नहीं आते थे, केवल बीमार होने के कारण कोटा आये थे । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे यह भी तर्क दिया है कि घरेलू हिंसा के केस सोनू सिंह हाड़ा बनाम मानसिंह हाड़ा में माननयी न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 3 उत्तर कोटा के निर्णय दिनांक 30.01.2023 से रेस्पोडेन्ट को अन्तरिम रिलीफ दी जाकर रेस्पो0 के पति मानसिंह को पाबन्द किया हुआ है कि वह रेस्पो0 को 6000/– प्रतिमाह, एवं बच्चों को प्रत्येक को 3000/– कुल 12000/– बतौर भरण पोषण के आदेश किये हुए है । कब्जा व बेदखली केवल रेस्पोडेन्ट पर दबाव बनाने के लिए रेस्पो0 के पति मानसिंह द्वारा

जिला कलक्टर
कोटा

अपने माता पिता के द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है । अपीलांट के 3 बेटे है जिनकी सभी की अच्छी आमदनी होते हुए बहू से भरण पोषण मांगने का अधिकारी नहीं है । अपीलांट द्वारा बहू बेटे की लडाई में बेटे का पक्ष लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय में यह कार्यवाही प्रस्तुत की गई है । जो केवल मात्र रेस्पोडेन्ट एवं उसके नाबालिग बच्चों को परेशान करने व दबाव बनाने के लिए की गई कार्यवाही है । रेस्पोडेन्ट नं0 1 अपीलांट की पुत्रवधु है तथा मानसिंह की पत्नि ऐसी स्थिति में उक्त मकान नं0 259 एवं 260 में रहने की अधिकारिणी है । अपीलांट के पुत्र मानसिंह के विरूद्व रेस्पोडेन्ट द्वारा घरेलू हिंसा का प्रकरण सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन है, जिसमें रेस्पोडेन्ट को अंतरिम राहत प्रदान की हुई है । सिविल न्यायालय में प्रस्तुत उक्त घरेलू हिंसा के प्रकरण के कारण रेस्पो0 पर दबाव बनाने के लिए अपीलांट द्वारा यह कार्यवाही रेस्पोडेन्ट के विरूद्व की गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं पाया जाने से खारिज किया जा चुका है । अतः अपील अपीलांट सव्यय खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 18.3.2024 के विरूद्व दिनांक 17.05.2024 को अन्दर मियाद पेश की है । प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय से निम्न अनुतोष चाहा गया–

1 प्रतिपक्षीगण प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक से किसी भी प्रकार से मारपीट करने या धमकी देकर आतंकित व प्रताडित करने का प्रयास ना करें और ना ही प्रार्थी को उसकी कयशुदा सम्पत्ति के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग व निवास से वंचित करने का प्रयास करें ।

2 प्रतिपक्षी कम 1 प्रार्थी को उसके भरण पोषण , चिकित्सा एवं अन्य व्यय हेतु 30,000/– मासिक भुगतान करें ।

3 प्रार्थी के द्वारा अर्जित आवास सं0 259, 260 केशवपुरा सेक्टरं–6 कोटा से क्रय कर निर्मित आवासों से प्रतिपक्षीगण को बेदखल कर उसका स्वतंत्र कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जाये जिससे प्रार्थी उसमें निवास कर अपने जीवन के अन्तिम दिन सुख पूर्वक व्यतीत कर सकें तथा उससे प्राप्त आय से अपना इज्जत से जीवन यापन कर सकें ।

4 प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की प्रस्तुत के तुरन्त बाद विधिक सुरक्षा प्रदान की जाकर उसके मकान में निवास हेतु दिलवाया जाये व प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया जाये कि प्रतिपक्षीगण किसी भी प्रकार से प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट ना करें ना ही उसे डराये धमकाये और ना ही उसकी अन्य सन्तानों को प्रार्थी के पास आने से या रोकने का प्रयास ना करें ।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट से चाहा गया अनुतोष इस आधार पर प्रदान नहीं किया गया है कि उभयपक्षकारान के मध्य घरेलू हिंसा एवं सम्पत्ति के प्रकरण अन्य सिविल न्यायालयों में जैरकार है जिस कारण प्रकरण सम्पत्ति के विवाद एवं पारिवारिक हिंसा से संबंधित होना पाया जाता है जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न फर्द दस्तावेजों के अवलोकन से होती है । जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत बनना नहीं पाया जाता है । प्रार्थी कम सं0 1 राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त है जिससे प्रार्थीगण को मासिक पेंशन प्राप्त होती है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी सार संभाल करने में स्वंय समर्थ है एवं प्रार्थीगण द्वारा चाही गयी सहायता इस अधिनियम के तहत नहीं दिलाई जा सकती है ।

जिला कलक्टर
कोटा

7. विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण के प्रस्तुत तर्को से हम यह पाते है कि अपीलांट के तीन पुत्र मानसिंह, महीपाल सिंह एवं डीकेन्द्र सिंह है एवं एक पुत्री लीला है जो विवाहित है । तीनों पुत्र अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे है, तीन पुत्रों के होते हुए अपीलांट का रेस्पोडेन्ट से बतौर भरण पोषण की राशि 30,000/– की मांग करना उचित नहीं है, साथ ही हम यह मानते है कि वादग्रस्त मकान नं0 259, 260 सेक्टर–6 केशवपुरा अपीलांट के नाम है, जिसमें रेस्पोडेन्ट एवं अपीलान्ट के पुत्र मानसिंह के विवाह पश्चात रेस्पोडेन्टगण एवं मानसिंह परिवार सहित निवास करते है किन्तु रेस्पोडेन्ट नं0 1 एवं पति मानसिंह के मध्य विवाद होने एवं मानसिंह द्वारा घरेलू हिंसा कारित करने से सिविल न्यायालय में घरेलू हिंसा का वाद विचाराधीन है, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं0 3 उत्तर कोटा से आदेश दिनांक 30.01.2023 द्वारा रेस्पोडेट के पति एवं पिता मानसिंह को पाबन्द किया हुआ है कि वह रेस्पोडेन्टगण को 12,000/– प्रतिमाह बतौर भरण पोषण राशि अदा करेंगे किन्तु अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम–2 कोटा से आदेश दिनांक 30.01.2023 की कियान्विति को स्थगित किया हुआ है । इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि रेस्पोडेन्ट एवं अपीलांट के पुत्र मानसिंह के मध्य फौजदारी मुत0 प्रकरण संख्या 112/2020 विचाराधीन है, साथ ही अपीलांट की पत्नि कौशल कंवर द्वारा भी रेस्पो0 के विरूद्व घरेलू हिंसा का प्रकरण दायर किया था जिसमें अंतरिम अनुतोष अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलांट की पत्नि, पुत्र मानसिंह एवं रेस्पोडेन्टगण के मध्य सिविल न्यायालयों में विभिन्न वाद विचारधीन होने से अपीलांट द्वारा वरिष्ट नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल सिविल न्यायालयों एवं विचाराधीन कार्यवाही से बचने एवं रेस्पोडेन्टगण पर दबाव बनाने की मंशा से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है तथा अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2024 उचित होने से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.3.2024 यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 9.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा